न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 39 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री जोरसिंह
2. दुर्जनसिंह गोद पुत्र श्री सबलसिंह
3. पन्नेसिंह पुत्र श्री भैरसिंह
4. डूंगरसिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह
5. गुमानसिंह पुत्र श्री आसकरणसिंह
6. वीरसिंह पुत्र श्री आसकरणसिंह
7. श्रीमती चन्द्रकंवर पत्नी श्री आसकरणसिंह
8. तनेराजसिंह उर्फ तनसिंह पुत्र श्री जेतमालसिंह
9. ढेल कंवर पत्नी श्री जेतमालसिंह
10. ईश्वरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह
11. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह
12. छगनसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह
13. श्रीमती प्रभात कंवर पत्नी श्री सवाईसिंह
14. छोटुसिंह पुत्र श्री हरीसिंह
15. उत्तमसिंह पुत्र श्री हिन्दुसिंह
16. समद कंवर पत्नी श्री मूलसिंह
17. उदयकंवर पत्नी श्री हिन्दुसिंह

सभी जाति राजपूत, निवासी गांव चकलानी, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज0)

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व आवेदन संख्या 167 / 2011 बअनवान सरकार बनाम पृथ्वीसिंह वगैरह, आदेश दिनांक 18.05.2018 ।

उपस्थिति

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 02.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेंट / प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार करके ग्राम चकलानी खसरा संख्या 87/30 रकबा 32.04 बीघा के खातेदारान् (अपीलांट/विप्रार्थीगण) के खातेदारी अधिकार सदैव के लिए समाप्त करके भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर समस्त राजस्व अभिलेख में अंकन सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया। खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग लेकर अवैध रूप से जिप्सम खनन का कार्य किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। भू–बन्दोबस्त के तुरन्त पश्चात उक्त भूमि को सिणदरी फर्टीलाईजर कॉर्पोरेशन के लिए अवाप्त किया गया, जिन्होंने 50 वर्ष तक खनिज निकालने हेतु भूमि का दोहन किया और इससे खेत में बड़े–बड़े खड्डे हो गए है। उक्त अवाप्त भूमि खातेदारान को सुपुर्द करते समय तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा कृषकों के हितों की रक्षा नहीं की गई और भूमि वापिस लेने से पहले खड्डो को नहीं भरवाया गया। अपीलांटगण विवादग्रस्त आराजी से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। आसपास की फैक्ट्रियों के मालिक जबरन चोरी छिपे खेत में से अवैध खनन करते हैं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट पक्ष के वकील की आपति है कि उन्के पक्ष पर वाद की सुनवाई हेतु निश्चत की गई तारीख की सूचना की सम्यक तामीली नहीं कराई गई है तथा जो निर्णय दिया गया है वह उन्हे बिना सूचना दिये, बिना उनका पक्ष सुने राजस्व लोक अदालत केम्प में एकतरफा पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया है उसमें उल्लेख है कि मौके पर झाड़ियां खड़ी हैं व अवैध खनन होने का हवाला दिया है। एकतरफ तो मौके पर झाड़ियां बता रहे है तथा दूसरी तरफ अवैध खनन बता रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया है, जो किसी भी रूप में विधिवत रूप से पारित किये गए आदेश की परिभाषा में नहीं आता। भू–बन्दोबस्त के तुरन्त पश्चात उक्त भूमि को सिणदरी फर्टीलाईजर कॉर्पोरेशन के लिए अवाप्त किया गया, जिन्होंने 50 वर्ष तक खनिज निकालने हेतु भूमि का दोहन किया और इससे खेत में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बड़े–बड़े खड्डे हो गए है। उक्त अवाप्त भूमि खातेदारान को सुपुर्द करते समय तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा कृषकों के हितों की रक्षा नहीं की गई और भूमि वापिस लेने से पहले खड्डो को नहीं भरवाया गया। अपीलांटगण विवादग्रस्त आराजी से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। आसपास की फैक्ट्रियों के मालिक जबरन चोरी छिपे खेत में से अवैध खनन करते हैं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही अपेक्षित है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 87/30 रकबा 32.04 बीघा विवादग्रस्त आराजी में कृषि से भिन्न जिप्सम की खुदाई कर बिना माइनिंग लीज के अवैध खनन कर जिप्सम फैक्ट्रियों के मालिकों को बेचान कर बिना रायल्टी चुकाये राजस्व हानि व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर रहे है। उपरोक्त खसरा की भूमि उतरलाई वायुसेना हेतु प्रतिबंधि क्षेत्र के पास स्थित है जिसका कृषि से भिन्न कार्य में उपयोग करना वर्जित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयमपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर के आवेदन पत्र का अवलोकन किया। उसके संलग्न जो मौका फर्द दिनांक 11.04.2011 है, के अनुसार "राजस्व ग्राम चकलानी में खसरा संख्या 87/30 रकबा 32.04 बीघा के मौके पर जमाबंदी अनुसार विप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर लिखा कि इनकी खातेदारी भूमि में खडी निकालने के लिए चार–पांच गडढे एवं पिट पाए गए।" इसमें अवैध खनन रूकवाने हेतु नियमानुसार अग्रिम प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया"। इस मौका फर्द पर न तो किसी गवाह और न ही मोतबिरान का उल्लेख एवं हस्ताक्षर ही है, न ही इसमें स्पष्ट है कि विवादित खसरे की 32 बीघा भूमि में से कितने क्षेत्रफल में, किस–किस जगह पर अवैध खनन, किसी–किस काश्तकार द्वारा किया गया है। इसी तरह दिनांक 18.05.2018 की मौका फर्द में जब अद्यतन एवं दुबारा मौका देखा गया तो "मौके पर उक्त खसरे में खड्डी(जिप्सम) निकालने के निशानात (खड्डे) खोदे हुए पाए गए तथा ट्रेक्टर टोली भरने व चलने के निशानात पाये गए। मौके पर झाड़ियां खड़ी है। मौका फर्द में बाद में एक लाईन और जोड़ी गई है "इस प्रकार उक्त खसरे में कृषि से भिन्न अकृषि प्रयोजन कार्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया जा रहा है"। इस पर पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी भी अवलोकनीय है–"आज मौका देखा गया। मौके पर खनन के निशानात मौजूद है, अवैध खनन व्यापक पैमाने पर हो रहा है टैक्ट्रर के निशान, खुदाई के निशान मौजूद पाये गए।" इससे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि खसरे में कहां–कहां, कितने रकबे में कितने लम्बे चौड़े गढढे कब–कब एवं किन–किन काश्तकारों द्वारा किये गए हैं।

यह एक तथ्य है कि ग्राम चकलानी के अनेक खसरों में जिप्सम की मौजूदगी के कारण उन खसरों का आवंटन सिन्दरी फर्टीलाईजर जिप्सम कंपनी इंडिया लिमिटेड मुख्यालय उतरलाई को किया गया था और उसने व्यापक क्षेत्र में खनन किया। जहां–जहां खनन किया वहां खडडे उसी अवस्था में छोड़ दिये गए जबकि उन्हे समतल करके देने की सलाह थी। इन क्षेत्रों की संपूर्ण अराजी में सघन बबूल की झाड़ियां आज भी मौजूद है जिन्हे हटाना काश्तकार के बूते की बात नहीं है। उस कंपनी द्वारा आंवटित खसरों के रकबे के अलावा भी पास में स्थित अतिचार करके विवादित खसरे की भूमि में भी खनन किया गया हो, नामुमकिन नही है। प्रकरण में वाद की तरह उभयपक्ष के साक्ष्य सबूत नहीं लिये जाकर निर्विवादित साबित नहीं किया गया है कि अमुक खातेदार द्वारा अपनी कृषि जोत पर गैर कृषि कार्य किया गया, उसके खातेदारी अधिकारों का अवसान करना न्यासंगत नहीं है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 167/2011 बअनवान सरकार बनाम पृथ्वीसिंह वगै. पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2018 को अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलांटगण को हिदायत दी जाती है कि वे अपने खातेदारी की वादग्रस्त आराजी की सम्यक तत्परता से अनवरत निगरानी करे ताकि कोई अवैध खनन नहीं कर पाए एवं आराजी का किसी भी सूरत में भविष्य में गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो, अन्यथा वे इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे।

2/4/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner